

--: संशोधित आदेश ::--

निदेशालय के आदेश क्रमांक राजपत्रित/एटी/प02/2017/195 दिनांक 29.05.17 के द्वारा क्रम संख्या 3 पर अंकित डॉ0 शिवदत्त बोडा, व0चि0अ0 क्रम संख्या 4 पर अंकित डॉ0 केसर सिंह राठौड, चि0अ एवं क्रम संख्या 7 पर अंकित डॉ0 सुरेश कुमार, चि0अ0 के कार्यव्यवस्थार्थ किये गये आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते है।

फलस्वरूप डॉ0 शिवदत्त बोडा, व0चि0अ0 पूर्व की भांति अपने मूल पदस्थापन स्थान सामु0 स्वा0 केन्द्र सिवाना, बाडमेर, डॉ0 केसर सिंह राठौड, चि0अ0, पूर्व की भांति कार्यव्यवस्थार्थ स्थान प्रा0 स्वा0 केन्द्र मोकलसर, बाडमेर एवं डॉ0 सुरेश कुमार, चि0अ0 को एक वर्ष की अवधि अथवा अग्रिम आदेशों तक कार्यव्यवस्थार्थ प्रा0 स्वा0 केन्द्र राखी, बाडमेर में लगाया जाता है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- संस्था/चिअ/एटी/प02/17/239

दिनांक:- 7 /07/2017

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग, (ग्रुप-2) राज0 जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-(संबंधित)।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी सम्बन्धित/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सम्बन्धित।
6. संबंधित चिकित्सक को पालनार्थ।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. निजि/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।